

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
(बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्)

संचिका संख्या-स0 सु0 (लीड एजेंसी) बजट-07-37 / 2022,.....529.....

प्रेषक,

आशुतोष द्विवेदी, भा.प्र.से.

राज्य परिवहन आयुक्त-सह-प्रभारी पदाधिकारी,
लीड एजेंसी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,

जिला सड़क सुरक्षा समिति, भागलपुर, बक्सर, पूर्णियाँ एवं गोपालगंज।

पटना, दिनांक-18.08.2025

विषय:- मुख्य शीर्ष 2041-वाहन कर-00-101-संग्रहण प्रभार-0003-बिहार सड़क सुरक्षा निधि में वाहन पर शमन से प्राप्ति का अंशदान, विपत्र कोड-47-2041001010003 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय हेतु ₹38,25,000/- (अड़तीस लाख पच्चीस हजार) मात्र निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष में वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय हेतु लघु कार्य (27-01) मद में जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला सड़क सुरक्षा समिति, भागलपुर, बक्सर, पूर्णियाँ एवं गोपालगंज को रूपया 38,25,000/- (अड़तीस लाख पच्चीस हजार) मात्र का आवंटन संलग्न विवरणी के साथ प्रदान किया जाता है।

2. इस राशि का आवंटन मुख्य शीर्ष-2041-वाहनकर-00-101-संग्रहण प्रभार-0003-बिहार सड़क सुरक्षा निधि में शमन से प्राप्ति का अंशदान, विपत्र कोड-47-2041001010003 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में विषय शीर्ष लघु कार्य (27-01) कुल रूपया 38,25,000/- (अड़तीस लाख पच्चीस हजार) का आवंटन किया जाएगा।

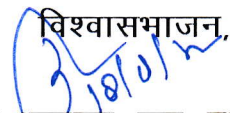
3. यह आवंटन वित्त विभाग के स्थायी अनुदेश संख्या-2561/वि0, दिनांक-17.04.1998 में निहित प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है।

4. नियमानुसार इस राशि का भुगतान भागलपुर के आवेदक श्री हीरालाल को रूपया 6,25,000/- (छः लाख पच्चीस हजार), बक्सर के आवेदक श्री वरुण कुमार को रूपया 13,00,000/- (तेरह लाख), पूर्णियाँ के आवेदक श्रीमती पुष्पा कुमारी को रूपया 14,00,000/- (चौदह लाख) एवं गोपालगंज के आवेदक श्री हसन इमाम को रूपया 5,00,000/- (पाँच लाख) मात्र मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के निर्माण में हुए व्यय के भुगतान हेतु किया जायेगा।

5. यह अनुदान आवंटन विभागीय आदेश संख्या-2484, दिनांक-18.04.2023, आदेश संख्या-1335, दिनांक-18.02.2025, आदेश संख्या-341, दिनांक-13.01.2025 एवं आदेश संख्या-4197, दिनांक-22.05.2025 में निहित प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

6. आवंटित राशि के विरुद्ध व्यय विवरणी, टी.वी. संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही निकासी की गई राशि का सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से करा ली जाए, ताकि अधिकाई व्यय की संभावना नहीं रहे।

अनुलग्नक-आवंटन विवरणी।

विश्वासभाजन,


राज्य परिवहन आयुक्त-सह-प्रभारी पदाधिकारी,
लीड एजेंसी,
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।

ज्ञापांक:-स0 सु0 (लीड एजेंसी) बजट-07-37 / 2022,.....529.....पटना, दिनांक-.....18.08.2025

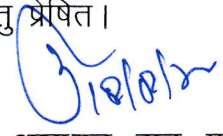
प्रतिलिपि:-जिला परिवहन पदाधिकारी-सह-सदस्य सचिव, जिला सड़क सुरक्षा समिति, भागलपुर, बक्सर, पूर्णियाँ एवं गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महालेखाकार, बिहार, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर, बक्सर, पूर्णियाँ एवं गोपालगंज/संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. आई.टी. मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक की प्रतियों के साथ आवश्यक कार्यार्थ तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


राज्य परिवहन आयुक्त-सह-प्रभारी पदाधिकारी,
लीड एजेंसी,
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।

आवंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष-2041-वाहन कर-00-101-संग्रहण प्रभार-0003-बिहार सड़क सुरक्षा निधि में शमन से प्राप्ति का अंशदान

विपत्र कोड-47-2041001010003

आवंटन अप्रैल, 2025 से मार्च, 2026

कार्यालय का नाम-जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला सड़क सुरक्षा समिति, भागलपुर, बक्सर, पूर्णियाँ एवं गोपालगंज।

विषय-नियमानुसार इस राशि का भुगतान भागलपुर के आवेदक श्री हीरालाल को रूपया 6,25,000/- (छः लाख पच्चीस हजार), बक्सर के आवेदक श्री वरुण कुमार को रूपया 13,00,000/- (तेरह लाख), पूर्णियाँ के आवेदिका श्रीमती पुष्पा कुमारी को रूपया 14,00,000/- (चौदह लाख) एवं गोपालगंज के आवेदक श्री हसन इमाम को रूपया 5,00,000/- (पाँच लाख) मात्र मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के निर्माण में हुए व्यय के भुगतान के विरुद्ध किया जायेगा।

आवंटन वित्तीय वर्ष 2025-26				
क्रम सं०	आवेदक का नाम	लघु कार्य (27-01)		
		पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटन	कुल
1	2	3	4	5
1	भागलपुर जिले के आवेदक श्री हीरालाल द्वारा निर्मित किये जा रहे "मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल", भागलपुर	0	6,25,000 / -	6,25,000 / -
2	बक्सर जिले के आवेदक श्री वरुण कुमार द्वारा निर्मित किये जा रहे "मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल", बक्सर	0	13,00,000 / -	13,00,000 / -
3	पूर्णियाँ जिले के आवेदक श्रीमती पुष्पा कुमारी द्वारा निर्मित किये जा रहे "मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल", पूर्णियाँ	0	14,00,000 / -	14,00,000 / -
4	गोपालगंज जिले के आवेदक श्री हसन इमाम द्वारा निर्मित किये जा रहे "मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल", गोपालगंज	0	5,00,000 / -	5,00,000 / -
कुल योग		0	38,25,000 / -	38,25,000 / -

(कुल रु० अड़तीस लाख पच्चीस हजार मात्र)।

राज्य परिवहन आयुक्त-सह-प्रभारी पदाधिकारी,
लीड एजेंसी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद, पटना।